बम्बई में हुए साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित हुए 97 बच्चों को राहत स्वीकृत की गई है । इसके अलावा जनवरी, 1993 माह में गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित हुए 35 बच्चों के प्रस्ताव राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना संस्थान को प्राप्त हो गए हैं तथा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं ।

गाजियाबाद में ठाकुरों द्वारा किये गये अत्याचार

3982. **श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांव डहाना, थाना धौलाना, जिला गाजियाबाद में ठाकुरों ने कुम्हारों (पिछड़ी जाति) को आतंकित कर उनकी चल तथा अचल संपत्ति को जबरन छीन लिया और उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जिसके परिणामस्वरूप कुम्हारों के लगभग 20 परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा है :

(ख) क्या पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की है :

(ग) यदि हां, तो क्या जिला प्रशासन ने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं : और

(घ) इस गंभीर संवैधानिक मसले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी, नहीं, श्रीमान् । तथापि, 7 जुलाई, 93 को गांव डहाना में राजपूतों एवं कुम्हारों के बीच एक संघर्ष हुआ जिसमें श्री० रामपाल सिंह नामक एक राजपूत की मृत्यु हो गई थी । चल एवं अचल सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने अथवा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की किसी शिकायत की सूचना नहीं है ।

कुम्हारों के परिवार गांव से भागे नहीं हैं ।

(ख) पुलिस थाना-धौलाना में भा० दं० सं० की धाराओं 147/148/149/307/302 के अन्तर्गत एक मामला (अपराध क्रमांक 112/93) दर्ज किया गया । जांच के पद तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें 9-7-93 को जेल भेज दिया गया । फरार अभियुक्तों के खिलाफ, उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय के आदेशों के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अधीन कार्यवाही शुरू की गई है । 29-7-93 को न्यायालय में एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया है ।

(ग) और (घ) गांव में शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने पी० ए० सी० की डेढ़ कम्पनियां लगाई थीं । स्थानीय पुलिस द्वारा स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । मामले में केन्द्र के किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी ।

दिल्ली में सुराकाण्ड के संबंध में प्रतिवेदन

3983. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में नवम्बर, 1991 में हुए सुराकाण्ड के कारणों की, जिसमें मिलावटी कर्पूरी आसव के सेवन से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जगदीश चन्द की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था और उक्त आयोग ने 31 अगस्त, 1992 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था जिसमें मुख्यत: डा० शिव राज सिंह निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और डा० आनन्द भूषण शर्मा, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बृजघाट (गाजियाबाद) को दोषी पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायमूर्ति जगदीश चन्द द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ 347 पर उद्धृत उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की गई थी, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है :

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या न्यायमूर्ति द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करते हुए उक्त दोनों अधिकारी अपने-अपने पदों पर पूर्व की भांति सेवारत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आयोग द्वारा जारी आदेशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने आयोग के निष्कर्षों/सिफारिशों को आमतौर पर स्वीकार कर लिया है ।

(ग) से (ङ) आयोग ने, अपनी ड्यूटियों के प्रति लापरवाही बरतने के लिए डा० शिव राज सिंह और डॉ० आनन्द भूषण शर्मा सहित उत्तर प्रदेश के तीन अधिकारियों को दोषी ठहराया था । उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यूनानी अस्पताल, बृजघाट, गाजियाबाद के चिकित्सा अधिकारी डॉ० आनन्द भूषण शर्मा को निलम्बित कर दिया गया है और उन्हें एक आरोप-पत्र तामिल किया गया है और आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं के निदेशक डॉ० शिव राज सिंह से, रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

Cases of Burglaries and Robberies in Delhi

3984. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cases of burglaries and robberies have increased in and around Delhi;

(b) if so, the number of such cases reported during the last six months ; and

(c) what steps are proposed to be taken to check such incidents ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) 171 cases of robberies have been reported in Delhi during the last six months i.e. from 1-2-93 to 31-7-93 as compared to 140 cases during the corresponding period of last year. The number of cases of burglary reported during the last six months of the current year is 668 as compared to 741 cases reported during the corresponding period of last year.

(c) The steps taken to curb crimes in Delhi include increased patrolling ; posting of pickets at strategic points; strengthening of intelligence ; frequent raids at the hideouts of criminals; increased surveillance ; co-ordination meetings with the officials of the neighbouring States; training of police officers in handling modem weapons ; and, modernisation of the communication network.

Withdrawal of Small and Petty Cases from Courts

3985. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to withdraw petty and small cases from various courts in the National Capital territory of Delhi in the near future ;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government propose to give similar advice to the State Governments to reduce the burden of the Courts particularly in the lower courts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P M. SAYEED) : (a) and (b) The Delhi Administration has reported that the Chief Justice of India vide his letter dated 15-5-91 had directed the Chief Justice, Justice of the Delhi High Court to consider withdrawal of stale and ineffective cases from prosecution so as to free the courts from unnecessary burden. Following a discussion of the Lt. Governor of Delhi with the Chief Justice, of Delhi High Court on 12-9-91, it was decided to consider withdrawal of stale and ineffective cases which were registered prior to 31-12-1988 pertaining to MCD, NDMC, Labour Deptt, Traffic, etc. The Lt. Governor of Delhi has so far recommended 36724 cases for withdrawal from prosecution.

(c) State Governments are competent to take a decision in the matter on their own.

Amending the Police Act

3986. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state *

(a) whether it is a fact that in the recent past various Courts in the country including the High Courts have passed structures against the Police authorities for laxity in probe of criminal cases by them:

(b) if so, what are the details thereof:

(c) what action has been taken against such police authorities by the State and Central Government; and

(d) whether Government propose to amend the Police Acts to provide punishment for such Police authorities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) to (d) 'Police' and 'Public Order' being State subjects, no such information is compiled by the Central Government. It is for the concerned State Governments/Union Territory administrations to take appropriate action in such matters.

Escape of Criminals from Jails

3987. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the recent past a number of criminals including militants have escaped either from Jails or from custody of police officials in Punjab, Uttar Pradesh and other parts of the country ;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what actions were taken against the jail authorities or police officials in such cases with details thereof; and

(d) what action Government propose to take to prevent the escape of criminals and militants from the jails and custody of police 7

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (d) 'Prisons' being a State subject the Central Government does not compile statistics relating to escape of prisoners. In each case of escape, it is for the State Government concerned to take necessary action. The Central Government on its part is helping the States to beef up security arrangements in prisons.